27/09/16

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री राजकुमार उप0 । अभियुक्त गणपत एवं सखाराम एवं रूखडिया सहित अधि0 श्री संदीप शर्मा ।

> आरोपी संजय एवं दीपक सहित अधि0 श्री पी0के0मुकाती उप0। प्रकरण आरोप के संबंध मे उभयपक्ष को सुना गया।

अभियोजन का मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 4.9.16 को 5.30 बजे मुकेश नर्मदा पटटी की तरफ जा रहा है योगमाया मंदिर के पास दो ट्रैक्टर रेत के अवैध खनन के आते हुये दिखायी दिये उसने पुलिस को सूचना दी उन्हें रोका गया जिसमे ट्रैक्टर महिन्द्रा 415 ट्रैक्टर स्वराज 841 थे उक्त ट्रैक्टरों में टालिया रेत भरकर चोरी से लायी जा रही थी पुलिस की मदद से दोनो ट्रैक्टरों को थाने पर लाया गया। घटना के समय पवन, सुलभ,आनंद ,राहुल ने मदद की महेन्द्र ट्रैक्टर का मालिक गणपत भी था।

इस प्रकार की रिपोर्ट को थाना बडवानी के अप0क्र0 483/16 पर 7.12 बजे दर्ज किया गया है तत्पश्चात प्रकरण के विवेचक मोहन तिवारी सहायक उपनिरीक्षक बडवानी द्वारा प्रकरण में विवेचना की गयी।

विवेचना के दोरान घटनास्थल का नक्शामौका दिनांक 4.9.16 को रात के 9.00 बजे तैयार किया गया। विवेचना के दौरान आनंदिसंह से ट्रैक्टर मिहन्द्रा एवं ट्रैक्टर स्वराज दिनांक 4.9.16 को ही 7.10 बजे जप्त किये गये। दिनांक 12.9.16 को दीपक से स्वराज ट्रैक्टर के पंजीयन के प्रमाण पत्र को जप्त किया गया। दिनांक 12.9.16 को रूखिडया से मिहन्द्रा ट्रैक्टर का पंजीयन के दस्तावेज जप्त किये गये। दिनांक 4.9.16 को गणपत , सखाराम,संजय, को तथा दिनांक 12.9.16 दीपक एवं रूखिडया को गिरफतार किया गया।

दिनांक 4.9.16 को ही साक्षी पवन,आनंद,मुकेश,सुभम तथा राहूल के कथन लेख किये गये।

जहाँ तक साक्षियों के द्वारा विवेचक मोहन तिवारी को जो कथन दिये गये हे उनका प्रश्न है उन सभी ने एकमत होकर एक भाषा ने यह कहा है कि उन्होंने ट्रैक्टर को भरा हुआ रेत से आता देखा पुलिस को सूचना दी उनके पास रायल्टी नहीं थी वे चोरी करके रेत को ले जा रहे थे उनके चालको सिहत ट्रैक्टर को थाने लाया गया ट्रैक्टर का मालिक गणपत और रूखडिया थे। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब प्रथम सूचना रिपोर्ट को लेख कराया गया उस समय ट्रैक्टर चालक के रूप मे प्रथम सूचना रिपोर्ट को लेख कराया गया उस समय ट्रैक्टर चालक के रूप मे प्रथम सूचना रिपोर्ट मे किसी का नाम उल्लेखित नहीं है यह भी स्पष्ट नहीं है कि कौन अभियुक्त को रेत से भरी टाली को चलाकर ले जा रहा था। गणपत के बारे मे यह कहा गया है कि गणपत साथ मे था। प्रथम सूचना रिपोर्ट से लेकर

साक्षियों के कथनों में कहीं भी यह नहीं आया है कि अभिकथित आरोपीगण में से कोई आरोपी ट्रैक्टर को चलाते हुये चोरी कर रेत को ले जा रहा था।

जहाँ तक वाहन के जप्त किये जाने का प्रश्न है उक्त जप्ती आनंद से की गयी है और आनंद को इस प्रकरण में अभियुक्त नहीं बनाया गया है दोनो ट्रैक्टर महिन्द्रा एवं स्वराज को अभियोजन के अनुसार थाने ले जाया गया और वहाँ ट्रैक्टर को जप्त किया गया । परंतु उक्त दोनो ट्रैक्टरों को जिस दिन रिपोर्ट लिखायी गयी अर्थात दिनांक 4.9.16 को ही आनंद से जप्त करना बताया गया प्रकरण के उल्लेखित किसी भी अभियुक्त से उक्त दोनो ट्रैक्टरों को जप्त करना नहीं बताया गया। ऐसी स्थिति में अभिलेख पर जो भी साक्ष्य आयी है उसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगण में से कोई अभियुक्त उक्त टैक्टर का चला रहा था और टैक्टर में खनिज रेत को चोरी कर ले जा रहा था। क्योंकि उक्त रेत या ट्रैक्टर किसी भी अभियुक्त के आधिपत्य से जप्त नहीं हुआ है।

जहाँ तक दीपक और रूखिडिया का प्रश्न है इन दोनों से उक्त ट्रैक्टरों के पंजीकरण के दस्तावेज जप्त किये गये है उक्त दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्ट्या यह नहीं माना जा सकता की उनके द्वारा खिनज की चोरी की गयी या उक्त चोरी की संपत्ति उनके आधिपत्य में थी उक्त दोनों व्यक्तियों को घटनास्थल पर पकड़ा भी नहीं गया है।

प्रकरण में गणपत के संबंध में अवश्य यह आया है कि वह घटना के समय था परंतु किसी भी साक्षी ने यह कथन नहीं किया है कि वह रेत की चोरी कर आ रहा था या चोरी की संपत्ति उससे जप्त हुयी या चोरी की संपत्ति उसके आधिपत्य में थी या उक्त संपत्ति को चुराये जाने के सबंध में वह किसी को सहयोग कर रहा था।

अभियोजन की ओर से जो अभियोग पत्र पेश हुआ है वह बडा ही हास्यास्पद है अभियोग पत्र में कही भी यह उल्लेखित नहीं है कि किस अभियुक्त को किस साक्ष्य के आधार पर किस अपराध के लिये गिरफतार किया गया है।

अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जिससे आधार पर किसी भी अभियुक्तगण के विरूद्ध भा.दं. स की धारा 379 या म.प्र.गौण खनिज अधिनियम की धारा 1996 के तहत अपराध के आरोप गठित किये जा सके।

उपरोक्त के आधार पर अभियुक्तगण को भा.द.स. की धारा 379 तथा म0प्र0 गौण खनिज अधिनियम 1996 की धारा 53 के अपराध से उन्मोचित किया जाता है।

प्रकरण की उक्त विवेचना मोहन तिवारी सहायक उपनिरीक्षक थाना बडवानी के द्वारा की गयी है प्रथम दृष्ट्या ही उनके द्वारा साक्ष्य का संकलन उचित एवं पर्याप्त रूप से नहीं किया गया है । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे दिशा निर्देश जारी किये गये है कि यदि किसी पुलिस कर्मचारी द्वारा साक्ष्य का संकलन उचित रूप से नहीं किया जाता या न्यायालय के समक्ष मामले को समुचित रूप से प्रस्तुत नहीं किया जाता तो उनके विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जाये।

अभिलेख प्राथायी साक्ष्य के आधार पर न्यायालय की यह राय है कि

मोहन तिवारी सहायक उपनिरीक्षक बडवानी के विरुद्ध सुनवायी का उचित अवसर देते हुये उचित अनुशासत्मम कार्यवाही की जाये इस हेतु इस आदेश की एक प्रतिलिपि को पुलिस अधीक्षक बडवानी को भेजा जाये।

प्रकरण मे जप्त वाहन को उनके पंजीकृत स्वामी को वापस किया जाये तथा जप्त रेत को मायनिंग विभाग को वापस किया जाये।

प्रकरण मे अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है जमानतदार को उन्मोचित किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण का अभिलेखागार मे

(मनोज कुमार तिवारी)

IN THE STATE OF TH कुम क मिल्न स्रामितियाँ स्रामितियाँ विस्तियाँ विष्तियाँ विस्तियाँ विस्तियाँ विस्तियाँ विस्तियाँ विष्तियाँ मुख्य न्यायिक मिजस्ट्रेट, बडवानी। HINTER SHIPPORT BY SHIPPORT SH